क्रम संख्या– 121 पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 10 अगस्त, 2016 ई0

श्रावण 19, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 242 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2016

देहरादून, 10 अगस्त, 2016

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड बेनामी लेन–देन(प्रतिषेध) विधेयक, 2016 को दिनांक 05 अगस्त, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तंराचल अधिनियम संख्या 17, सन 2016 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड बेनामी लेन–देन(प्रतिषेध) अधिनियम, 2016
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 17 वर्ष 2016)

धाराएं	विवरण
	अध्याय एक
	प्रारम्भिकी
1	संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ
2	परिभाषाएं
	अध्याय दो
	बेनामी लेन–देन का प्रतिषेध
3	बेनामी लेन–देन का प्रतिषेध
4	बेनामी धारित सम्पति अधिहरणीय (जब्ती) होगा
5	बेनामी धारित सम्पति को लेने के अधिकार का प्रतिषेध
	अध्याय तीन
	प्राधिकारी
6	बेनामीदार में सम्पति पुनर्अंतरण का प्रतिषेध
7	प्राधिकारी
8	प्राधिकारियों का क्षेत्राधिकार
9	शमन, अभिलेखों का प्रस्तुतिकरण और साक्ष्य दिये जाने इत्यादि के संबंध में प्राधिकारियों की शक्तियां
10	जानकारी मांगने की शक्ति
11	परिबद्ध अभिलेखों को रखने की शक्ति
12	जांच अथवा अन्वेषण करने की शक्ति
	अध्याय चार
	अधिहरण, न्याय निर्णयन और जब्तीकरण
13	प्रतिषिद्ध बेनामी लेन–देन में अंतर्निहित सम्पति के लिए नोटिस और अधिहरण
14	सूचना को उपलबध कराने की रीति
15	बेनामी सम्पति का न्याय निर्णयन
16	बेनामी सम्पति का जब्तीकरण और निहित होना
17	इस अधिनियम के अधीन जब्त सम्पत्तियों का प्रबंधन
18	सम्पति के अधिकार

अध्याय पांच

अपीलीय अधिकरण

19 अपीलीय अधिकरण की स्थापना

20 अपीलीय अधिकरण को अपील

21 अपीलीय अधिकरण की शक्तियां

22 त्रुटियों का सुधार

23 प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार

24 उच्च न्यायालय को अपील

अध्याय छः

विशेष न्यायालय

25 विशेष न्यायालय

26 विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों का दण्ड पक्रिया संहिता, 1973 का लागू होना

अध्याय सात

अपराध एवं शास्तियां

27 बेनामी लेन–देन के लिए शास्ति

28 मिथ्या सूचना हेतु शास्ति

29 पूर्व स्वीकृति

अध्याय आठ

विविध

30 कतिपय अंतरणों का शून्य होना

31 छूट

32 निर्देश आदि जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति

33 निष्कर्ष अन्य विधियों के अधीन इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के लिए निश्चायक नही होगा

34 अन्य विधियों के लागू करने के लिए वर्जित नही होगा

35 अधिकारिता का वर्जन

36 अपराधों का असंज्ञेय होना

37 कम्पनी द्वारा अपराध

38 कतिपय आधारों पर सूचना आदि का अवैध न होना

39 सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण

40 लंबित मामलों का अंतरण

41 विधिक वारिस

42	अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना
43	नियम बनाने की शक्ति
44	नियमों का राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाना
45	कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

उत्तराखण्ड बेनामी लेन–देन(प्रतिषेध) अधिनियम, 2016
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 17 वर्ष 2016)

बेनाम में सम्पति को धारण करने और बेनामी सम्पति अंतरण करने या उसके अधिकार के धारण करने को प्रतिबंधित करने तथा धारित बेनामी सम्पति के अधिहरण के लिए व्यवस्था और प्रकिया बनाने तथा उससे संबंधित या आनुषांगिक विषयों के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के 67वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;

अध्याय एक

प्रारम्भिकी

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड बेनामी लेन–देन (प्रतिषेध) अधिनियम, 2016 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(2) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत किया जाय।

परिभाषाएं

2 इस अधिनियम में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) ''न्याय निर्णयन प्राधिकारी'' से राजपत्र में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्याय निर्णयन प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) ''प्रशासक'' से राजपत्र में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक अभिप्रेत है;

(ग) ''अपीलीय अधिकरण'' से राजपत्र में राज्य सरकार द्वारा स्थापित अपीलीय अधिकरण अभिप्रेत है;

(घ) ''अनुमोदन प्राधिकारी'' से राजपत्र में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अनुमोदन प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ड.) ''प्राधिकारी'' से धारा 7 में संदर्भित प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(च)'' बेनामी सम्पति'' से कोई ऐसी सम्पति जिसमें कोई बेनामी लेन–देन के मामले है, अभिप्रेत है;

(छ) ''बेनामी लेन–देन'' से –

(क) कोई लेन–देन या व्यवस्था–

(कक) जहां कोई सम्पति किसी को अंतरित की जाती है, या धारण की जाती है या किसी व्यक्ति के लिए प्रतिफल के रूप में दी जाती है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भुगतानित की जाती है, और

(कख) जब सम्पति किसी व्यक्ति द्वारा धारण की जाती है, के सिवाय प्रतिफल देने वाले व्यक्ति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तुरन्त या भविष्य में लाभ के लिए

कोई सम्पति धारण की जाती है–

(एक) कोई मुखिया या अभिवाजित हिन्दू परिवार को कोई सदस्य जैसी स्थिति हो और स्वयं के लाभ या परिवार के दूसरे सदस्यों के लाभ के लिए कोई सम्पति धारित की जाती है;

(दो) ऐसी हैसियत में उपस्थित व्यक्ति जो कि किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए न्यासिय हैसियत से उपस्थित हो और जिसमें निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के अधीन किसी निक्षेप के कोई एजेण्ट के रूप में कोई प्रतिभागी या कोई निक्षेपकर्ता, विधि सलाहकार या कम्पनी का निदेशक, प्रतिनिधि, सहभागी, निष्पादक, न्यासी और कोई ऐसा व्यक्ति जिसे इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा यथाअधिसूचित किया गया हो, सम्मिलित है;

(कग) बहन की जाने वाली किसी सम्पति के सम्बंध में कोई लेन–देन या प्रबंधन किसी कल्पित नाम से धारित सम्पति,

(कघ) किसी सम्पति के सम्बंध में कोई लेन–देन या प्रबंधन जहां ऐसे स्वामित्व के लिए सम्पति का स्वामी को उसकी जानकारी न हो या उसकी जानकारी होने से मना करता हो;

(ज) ''बेनामीदार'' से कोई व्यक्ति या कल्पित व्यक्ति जैसी स्थिति हो, जिसके नाम से बेनामी सम्पति अंतरित की गई है या धारण की गई है और इसमें कोई किरायेदार भी सम्मिलित है;

(झ) ''लाभग्राही स्वामी'' से कोई व्यक्ति चाहे उसकी पहचान हो या नही हो जिसके लिए किसी बेनामीदार द्वारा कोई बेनामी सम्पति लाभ के लिए धारण की हो;

(ञ) ''शुद्ध बाजार भाव'' से किसी सम्पति के संबंध में––

(एक) संबंधित तारीख को खुले बाजार में विक्रय पर साधारणतया बिकने वाली सम्पति का मूल्य,

(दो) जहां उपखण्ड (एक) में संदर्भित मूल्य आंकलित नही है और ऐसा मूल्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसारण में अवधारित की गई हो;

(ट)''प्रारम्भिक अधिकारी'' से राजपत्र में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रारम्भिक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ठ)''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और अधिसूचित अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा;

(ड) ''उच्च न्यायालय' से––

(एक) उस क्षेत्राधिकार के भीतर जिसमें व्यथित व्यक्ति साधारणतया अधिवास करता है या किसी वाणिज्यिक या वैयक्तिक कार्य को कोई लाभ की प्राप्ति के लिए संचालन करता है; और

(दो) जहां सरकार व्यथित पक्षकार है वहां उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के भीतर जिसमें प्रतिवादी या जहां मामले में एक से अधिक प्रतिवादी हों, में कोई प्रतिवादी

साधारणतया निवास करता हो या कोई वैयक्तिक कार्य को कोई लाभ के लिए संचालित करता हो;

(ढ) ''व्यक्ति में–

(एक) कोई वैयक्तिक,

(दो) कोई अविभाजित हिन्दू परिवार,

(तीन) कोई कम्पनी,

(चार) कोई फर्म, (सिमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत सीमित दायित्व सहभागिता सहित),

(पांच) व्यक्तियों को कोई संगठन या कोई वैयक्तिक संस्था चाहे निगमित हो या नही,

(छः) प्रत्येक कृत्रिम न्यासीय व्यक्ति जो कि पूर्ववर्ती उपखंडो से आच्छादित नही होता है;

स्पष्टीकरण– इस खण्ड के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों का कोई संगठन या वैयक्तिकों की कोई निकाय या कोई कृत्रिम न्यासीय व्यक्ति, व्यक्ति के रूप में समझा जायेगा चाहे आय, लाभ या प्राप्ति के उददेश्य के लिए वह व्यक्ति हो या ऐसा व्यक्ति या ऐसा निकाय या ऐसा कृत्रिम न्यासीय व्यक्ति बनाया गया था या स्थापित किया गया था या समागित किया गया था।

(ण) ''विहित' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत है;

(त) ''सम्पति' से किसी प्रकार की सम्पति चाहे वह जंगम हो या स्थावर, मूर्त हो या अमूर्त और इसमें ऐसी सम्पति में कोई अधिकार या हित सम्मिलित हैं तथा जहां सम्पति को किसी अन्य रूप में परिवर्तित किया जा सकता हो और वह सम्पति ऐसे रूप में परिवर्तित हो, अभिप्रेत है;

(थ) ''विशेष न्यायालय' से धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन विशेष न्यायालय के रूप में पदाविहित कोई मजिस्ट्रेट का न्यायालय अभिप्रेत है।

अध्याय दो

बेनामी लेन–देन का प्रतिषेध

बेनामी लेन–देन का प्रतिषेध **3**

(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ पर और इसके पश्चात कोई व्यक्ति कोई बेनामी लेन–देन नही करेगा।

(2) उपधारा (1) की कोई भी बात वैयक्तिक रूप में किसी व्यक्ति द्वारा बेनामी लेन–देन का निष्पादन उसकी–

(क) पत्नी,

(ख) भाई या बहिन, या

(ग) पारम्परिक पूर्व पुरूष अथवा गैर पूर्व पुरूष।

बेनामी धारित सम्पति अधिहरणीय (जब्ती) होगा	**4**	धारा 3 की उपधारा (2) में संदर्भित बेनामी लेन–देन को छोडकर बेनामी लेन–देन के सम्बंधित मामले की कोई सम्पति राज्य सरकार द्वारा अधिहरणीय (जब्ती) होगा।
बेनामी धारित सम्पति को लेने के अधिकार का प्रतिषेध	**5**	(1) ऐसे व्यक्ति जिसके नाम से बेनामी सम्पति के सम्बंध में कोई अधिकार की कार्रवाई या दावा या कोई वाद किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध या उसकी ओर से ऐसी सम्पति के वास्तविक स्वामी द्वारा किये जाने वाले दावे को करने वाले व्यक्ति की ओर से नही की जा सकेगी। (2) किसी बेनामी धारक सम्पति के सम्बंध में किसी अधिकार पर आधारित कोई सुरक्षा चाहे जिसके नाम पर बेनामी सम्पति धारित है या कोई अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, दावा या कार्यवाही वास्तविक स्वामी के ऐसी सम्पति द्वारा किये जाने वाले किसी व्यक्ति के दावे की ओर से नही की जा सकेगी।
बेनामीदार में सम्पति पुनर्अंतरण का प्रतिषेध	**6**	कोई व्यक्ति बेनामीदार होने के कारण उसके द्वारा धारित बेनामी सम्पति का लाभार्थी स्वामी को या उसकी ओर से कार्रवाई किये जाने वाले व्यक्ति पुनर्अतरण नही कर सकेगा।

अध्याय तीन

प्राधिकारी

प्राधिकारी	**7**	इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात– (क) प्रारम्भिक अधिकारी, (ख) अनुमोदन प्राधिकारी, और (ग) प्रशासक।
प्राधिकारियों का क्षेत्राधिकार	**8**	(1) प्राधिकारी राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऐसे निर्देशों के अनुसरण या इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन यथास्थिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे दायित्वों का निर्वहन करेगा जो उसे प्रदत्त या दिये गये हों और राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऐसे निर्देशों के अनुसार सभी अथवा कोई प्राधिकारी ऐसे कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करेगा। (2) उपधारा (1) में सदर्भित आदेशों या निर्देशों के जारी करने पर राज्य सरकार निम्नलिखित या निम्नलिखित में से कोई रीति अपनायेगी, अर्थात– (क) प्रादेशिक क्षेत्र, (ख) व्यक्तियों की श्रेणियां, (ग) वादों की श्रेणियां, और (घ) इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य रीति।

शमन, अभिलेखों का प्रस्तुतिकरण और साक्ष्य दिये जाने इत्यादि के संबंध में प्राधिकारियों की शक्तियां

9 (1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी निम्नलिखित मामलों के संदर्भ में किसी वाद के विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायाल में निहित शक्तियों का प्रयोग करेंगे, अर्थात–

(क) खोज तथा निरीक्षण,

(ख) किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए दवाब और उसका शपथ पत्र पर परीक्षण;

(ग) लेखे की पुस्तिकाओं और अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना;

(घ) कमीशन जारी करना;

(ड.) शपथ पत्र साक्ष्य प्राप्त करना, और अन्य कोई मामले जो विनिर्दिष्ट किये जाएं।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, इस अधिनियम के अधीन कोई प्राधिकारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए या उसकी सहायता के लिए राज्य सरकार के किसी अधिकारी या किसी पुलिस अधिकारी की सेवाओं की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसे प्रत्येक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह ऐसी अपेक्षाओं या निर्देशों का पालन करे।

जानकारी मांगने की शक्ति

10 प्रारम्भिक अधिकारी या न्याय निर्णयन प्राधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह राज्य सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी व्यक्ति या किसी प्राधिकारी जो कि लेखों की पुस्तिकाओं और अन्य अभिलेखों जो कि किसी सम्पति से संबंधित किसी लेन–देन के हों या ऐसे व्यक्तियों के संबंध में ऐसी सूचनाओं को उपलब्ध कराने वाला कोई व्यक्ति, बिन्दु या उसकी राय में कोई मामला जो कि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ लाभप्रद या उत्तरदायी है, की अपेक्षा करने की शक्ति होगी।

परिबद्ध अभिलेखों को रखने की शक्ति

11 (1) जहां इस अधिनियम के अधीन किन्ही कार्यवाहियों में किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई लेखे की पुस्तिकें या अन्य अभिलेख प्रस्तुत किये गये है और इस क्रम में कोई प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे लेख की पुस्तिकाएं या अन्य अभिलेख जिन्हें इस अधिनियम के अधीन किसी जांच के लिए परिबद्ध और रोकने की अपेक्षा की गई है वहां वह धारा 15 उपधारा (3) के अधीन न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा अधिहरण की तारीख से न्यूतम तीन माह की अवधि के लिए ऐसे लेखे की पुस्ताओं या अन्य लेखो को परिवद्ध और रोके जाने की शक्ति होगी।

(2) काई व्यक्ति जिससे लेखे की पुस्तिकाओं और अन्य अभिलेख परिवद्ध किये गये थे वह उपधारा (1) के अधीन परिबद्ध लेखे की पुस्तिकों या अभिलेखों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए अर्ह होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर लेखे की पुस्तिकाएं और अन्य अभिलेख ऐसी लेखे की पुस्तिकाएं जिस व्यक्ति को इन्हें वापस करने या अन्य अभिलेखों को परिबद्ध करने थे, को अनुमोदन प्राधिकारी या न्याय निर्णयन अधिकारी उक्त अवधि के पश्चात भी रोके रखने की अनुज्ञा दे सकेगा।

जांच अथवा अन्वेषण करने की शक्ति

12 प्रारम्भिक अधिकारी अनुमोदन अधिकारी के पूर्वानुमोदन प्रापत करने के पश्चात किसी व्यक्ति, स्थान, सम्पति, परिसम्पति, अभिलेख, लेखे की पुस्तिकाओं या कोई अन्य

संबंधित सामग्री की कोई जांच या अन्वेषण करने की शक्ति होगी और धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी।

अध्याय चार

अधिहरण, न्याय निर्णयन और जब्तीकरण

प्रतिषिद्ध बेनामी लेन–देन में अंतर्निहित सम्पति के लिए नोटिस और अधिहरण

13 (1) जहां प्रारम्भिक अधिकारी उसके कब्जे में आयी सामग्री के आधार पर उसे विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति धारा 3 की उपधारा (2) में संदर्भित कोई व्यक्ति के संबंध में बेनामीदार है तो वह लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए ऐसे व्यक्ति को नोटिस में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे समय के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी कर सकेगा कि क्यो नही वह ऐसी सम्पति को बेनामी सम्पति के रूप में समझ ले।

(2) जहां उक्त उपधारा में संबंधित किसी बेनामीदार द्वारा धारित कोई सम्पति जिसे उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया है, की सूचना की एक प्रति ऐसे अन्य व्यक्ति को जो कि लाभग्राही स्वामी है, भी उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) जहां आरम्भिक अधिकारी की राय में यह है कि सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान ऐसी सम्पति के बेनामी धारक सम्पति के कब्जे में है तो वह अनुमोदन प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन से लिखित आदेश द्वारा ऐसी सम्पति को समान्यताया ऐसी रीति से जैसा विहित किया जाय, अधिहरित कर सकेगा।

(4) प्रारम्भिक अधिकारी जैसा वह ठीक समझे ऐसी रिपोर्ट या साक्षय को प्रस्तुत करने और ऐसी जांच करने के पश्चात समस्त संबंध्ति सामग्री को ध्यान में रखते हुए उपधारा (1) के अधीन सूचना के जारी होने की तारीख से 90 दिन की अवधि के भीतर—

(क) जहां उपधारा (3) के अधीन सामान्य अधिहरण किया गया है—

(एक) अनुमोदन प्राधिकारी क पूर्वानुमोदन से सम्पति के सामान्य अधिहरण के निरंतरता का आदेश धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन न्याय निर्णयन द्वारा किये गये आदेश की तारीख तक पारित करेगा;

(दो) अनुमोदन प्राधिकारी के पूर्वानूमोदन से समपित के सामान्य अधिहरण को वापस ले सकेगा।

(ख) जहां सामान्य अधिहरण उपधारा (3) के अधीन नही हकिया गया है वहां –

(एक) धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा सम्पति क सामान्य अधिहरण का आदेश पारित करेगा,

(दो) अनुमोदन प्राधिकारी के पूर्वानूमोदन से यह अभिनिर्णित करेगा कि अधिहरत सम्पति जैसा नोटिस मे ंविनिदिध्ष्ट किया गया है, अधिहरित सम्पति नही होगी।

(5) जहां खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) के अधीन सम्पति सामान्य अधिहरण की निरंतरता के संबंध में कोई आदेश प्रारम्भिक अधिकारी द्वारा पारित ककिया गया है या उपधारा (4) के खण्ड (ख) के उपखण्ड एक के अधीन सम्पति का समान्य अधिहरण के लिए कोई आदेश पारित किया गया है वहां वह ऐसे अधिहरण की तारीख से 15 दिन के भीतर मामले के विवरण मंगा सकेगा और इसे न्यायनिर्णयन अधिकारी को सदर्भित कर सकेगा।

सूचना को उपलबध कराने की रीति **14**

(1) धारा 13 की उपधारार (1) के अधीन कोई सूचना संबंधति वयक्ति के नाम से या तो डाक द्वारा या सिविलि प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले रीति के अनुरूप की जायेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन संदर्भित कोई सूचना–

(एक) वैयक्तिक के मामले में ऐसे वैयकितक को;

(दा) फर्म के किसी फर्म के मामले में प्रबंधन सहभाग या फर्म के प्रबंधक को;

(तीन) किसी हिन्दू अविवाजित परिवत्रार के मामले में ऐसे परिवार के कर्ता या किसी सदस्य को

(चार) किसी कम्पनी के मामले में उसके प्रधान अधिकारी को

(पांच) किसी अन्य संगठन या वैयकित्य के निकास कम मामले में उसके प्रधान अधिकारी या किसी सदस्य को

(छः) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में (जो वैयक्तिक नही है) उसके कार्यों का प्रबंधन या नियंत्रण करता हो, को सम्बोधित की जायेगी।

बेनामी सम्पति का न्याय निर्णयन **15**

(1) धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन किसी संदर्भण की प्राप्ति पर न्याय निर्णयन प्राधिकारी ऐसे अभिलेखों, विवरणों या साक्ष्यों को निम्नलिखित व्यक्तियों से जो कि उस पर विनिर्दिष्ट दिनांक को आवश्यक समझे जायं, को प्रस्तुत करने के लिए नोटिस दे सकेगा, अर्थात–

(क) बेनामीदार के रूप में विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति;

(ख) लाभग्राही स्वामी या चिन्हांकित स्वामी के रूप में संदर्भित कोई व्यक्ति;

(ग) कोई हितग्रस्त पक्षकार जिसमें बैंकिग कम्पनी भी सम्मिलित है;

(घ) कोई व्यक्ति जो सम्पति के संबंध में कोई दावा करता है।

(2) जहां एंसी सम्पति एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों के नाम पर संयक्त रूप से धारित हो वहां ऐसी सम्पति के धारण करने वाले सभी व्यक्त्यिों को नोटिस दिया जायेगा।

(3) न्याय निर्णयन अधिकारी ततपश्चात ––

(क) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना पर विचार कर उत्तर देगा;

(ख) ऐसी रिपोर्ट या साक्ष्य को प्रस्तुत करने या ऐसी जांच को किए जाने अथवा उसके परीक्षण के लिए जैसा वह ठीक समझे, और सभी संबंधित मामलों में बेनामीदार के रूप में विनिर्दिष्ट वयक्ति को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रारम्भिक अधिकारी और काई अन्य व्यक्ति जो ऐसी सम्पति के स्वामी होने का दावा करता है औ ततपश्चात् कोई आदेश–

(एक) यह अभिनिर्धारित कर सकेगा कि वह बेनामी सम्पति नही है और उसके अधिहरण के आदेश को वापस लिया जा रहा है; या

(दो) यह अवधारण कर सकेगा कि वह बेनामी सम्पति है और अधिहरण आदेश की पुष्टि कर सकेगा।

(4) जहां न्याय निर्णयन अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि सम्पति का कुछ भाग जिसके संदर्भ में बेनामी सम्पति का अंकन किया गया है किन्तु ऐसे भाग को विशिष्ट रूप से चिन्हांकित नही किया जा सका है वहां वह धारित बेनामी सम्पतियों के भाग के रूप में उसके निर्णयन में अभिलिखित कर सकेगा।

(5) जहां उसके समक्ष कार्यवाही के दौरान न्याय निर्णयन अधिकारी को विश्वास करने का यह पर्याप्त कारण है कि कोई सम्पति जिसे आरम्भिक अधिकारी द्वारा किसी संदर्भित सम्पति के अतिरिक्त बेनामी सम्पति है, तो वह ऐसी सम्पति का सामान्तया अधिहरण कर सकेगा और ऐसी सम्पति धारा 13 की उपधारा (5) के अधीन संदर्भित प्राप्ति की तारीख को संदर्भण किसी सम्पति पर होने वाली समझी जायेगी।

(6) न्याय निर्णयन प्राधिकारी कार्यवाही के किसी स्तर पर किसी पक्षकार के या तो आवेदन पर या स्वयं किसी पक्षकार द्वारा अनुचित रूप से ग्रहण की गई किसी सम्पति को हटा सकेगा या जोड़ सकेगा जिसे आवश्यक समझने पर न्याय निर्णयन अधिकारी के सम्मुख न्याय निर्णयन के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेगा और संदर्भ में अतर्निहित सभी प्रश्नों का निस्तारण कर सकेगा।

बेनामी सम्पति का जब्तीकरण और निहित होना

16 (1) जहां धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन किसी सम्पति का अधिहरण किया गया है वहां न्याय निर्णयन प्राधिकारी सम्बंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात बेनामी सम्पति को जब्त करने के लिए आदेश दे सकेगा।

(2) उपधारा (1) की कोई भी बात बेनामी लेन–देन की बात जानकारी में आये बिना समुचित प्रतिफल के लिए बेनामीदार से किसी व्यक्ति द्वारा अपेक्षित या धारित सम्पति पर लागू होंगे।

(3) जहां उपधारा (1)के अधीन जब्तीकरण का कोई आदेश दिया गया है वहां ऐसी सम्पति में सभी अधिकार और स्वामित्व सभी भारों को मुक्त करते हुए राज्य सरकार में अन्नय रूप से निहित हो जायेगी और ऐसे जब्तीकरण के सम्बंध में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का भुगतान नही किया जायेगा।

(4) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उसके उपबंधों को असफल करने की दृष्टि से ऐसी सम्पति में उत्पन्न कोई तीसरा व्यक्ति के समस्त अधिकार शून्य होंगे।

(5) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी जबतीकरण का आदेश उसके अंतिमिकरण के संबंध में जारी नही हुआ है वहां राज्य सरकार के विरूद्ध कोई दावा उत्पन्न नही होगा।

इस अधिनियम के अधीन जब्त सम्पत्तियों का प्रबंधन

17 (1) प्रशासक धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन किसी सम्पति को प्राप्त करने और उसके प्रबंधन के लिए जिस हेतु जब्तीकरण का आदेश किया गया है, ऐसे रीति से और शर्तो के अध्यधीन करने की शक्ति होगी, जैसा विहित किया जाय।

(2) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित आदेश को प्रकाशित कर उसके विभिन्न अधिकारियों को जैसा वह उचित समझे प्रशासक के रूप में कृत्यों के निर्वहन के

लिए नियुक्त कर सकेगी।

(3) प्रशासक धारा 16 के अधीन राज्य सरकार में निहित सम्पति के निस्तारण के लिए ऐसे मानकों का पालन करेगा जैसा राज्य सरकार निर्देश दे।

सम्पति का कब्जा **18** (1) जहां धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन किसी सम्पति के संबंध में अभिहरण को कोई आदेश किया गया है वहां प्रशासक ऐसी सम्पति को कब्जे में लेने की कार्रवाई कर सकेगा।

(2) प्रशासक–

(क) लिखित सूचना द्वारा सूचना को देने की तारीख के सात दिन के भीतर ऐसे व्यक्ति को जिसके नाम से बेनामी सम्पति का कब्जा है उसे या उसके द्वारा इस संबंध में लिखित में सम्यक रूप से किसी अन्य व्यक्ति को कब्जा अभ्यर्पित या हस्तगत करने के लिए आदेश दे सकेगा।

(ख) खण्ड (क) में संदर्भित आदेश की अवज्ञा होने पर या यदि उसकी राय में वारंट जारी कर तुरंत कब्जा लिया जाना है तो वह बल पूर्वक उसकी सहायता के लिए किसी पुलिस अधिकारी की अपेक्षा करते हुए कब्जा प्राप्त कर सकेगा और ऐसे अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह ऐसी अपेक्षा का अनुपालन सुनिश्चित करे।

अध्याय पांच
अपीलीय अधिकरण

अपीलीय अधिकरण की स्थापना **19** इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राजपत्र द्वारा अपीलीय अधिकरण स्थापित करेगी और अपीलीय अधिकरण इसके द्वारा अथवा इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

अपीलीय अधिकरण को अपील **20** (1) न्याय निर्णयन प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे प्ररूप में और ऐसे शुल्क के साथ जैसा विहित किया जाय अपीलीय अधिकरण के समक्ष धारा 15 के अधीन न्याय निर्णयन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के 45 दिनों के भीतर अपील कर सकेगा।

(2) अपीलीय अधिकरण उक्त 45 दिनों की अवधि के पश्चात भी कोई अपील यदि उसका समाधान हो जाता है कि आवेदक समयावधि के भीतर पर्याप्त कारणों से अपील नही कर सका है, अपील की अनुमति दे सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील के प्राप्त होने पर अपीलीय अधिकरण अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे।

(4) अपीलीय अधिकरण यथासम्भव जिस माह में अपील योजित की गई थी, की अंतिम तारीख से दो वर्ष के भीतर ऐसी अपील की सुनवाई कर निर्णित करेगा।

अपीलीय अधिकरण की शक्तियां **21** अपीलीय अधिकरण को –

(क) जहां अभिलेख पर साक्ष्य पर्याप्त है, के वाद को अंतिम रूप से अवधारित करने;

(ख) अतिरिक्त साक्ष्य लेने या न्याय निर्णयन प्राधिकारी द्वारा लिये जाने वाले ऐसे

साक्ष्य को प्राप्त करने जहां न्याय निर्णयन प्राधिकारी ने साक्ष्य लेने के लिए मना कर दिया हो और जिसे ततपश्चात स्वीकार कर लिया गया हो;

(ग) प्रस्तुत करने के लिए किसी अभिलेख की अपेक्षा या उसके समक्ष कार्यवाही के प्रयोजनार्थ परीक्षण किये जाने के लिए कोई गवाह को प्रस्तुत करने;

(घ) मामले के न्याया निर्णयन के लिए अपीलीय अधिकरण के समक्ष उपस्थित करने के लिए आवश्यक बिन्दुओं को तैयार करने;

(ड.) अंतिम आदेश पारित करने या उसकी पुष्टि में, भिन्नता या उसके विपरीत न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा पारित न्याय निर्णयन के किसी आदेश में और न्याय के हित में प्राप्त होने वाले आवश्यक है, के लिए आदेश पारित करने की शक्ति होगी।

त्रुटियों का सुधार **22**

(1) अपीलीय अधिकरण या न्याय निर्णयन प्राधिकारी अथवा यथास्थिति आरम्भिक अधिकारी अभिलेखों में उत्पन्न किसी त्रुटि को उसके द्वारा दिये जाने वाले आदेश पारित करने की तारीख के अंतिम माह से एक वर्ष की अवधि के भीतर संशोधित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया जाने वाला कोई संशोधन यदि पूर्वोक्त व्यापक्ता पर किसी व्यक्ति के हितों को प्रभावित करने वाला है तो जब तक ऐसा करने की आशय की सूचना नही दे दी जाती है और उसे सुनवाई का अवसर नही दे दिया जाता है तब तक नही किया जा सकेगा।

प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार **23**

(1) इस अधिनियम के अधीन अपीलीय अधिकरण को कोई अपील प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति या तो स्वयं या उसकी सहायता के लिए उसकी पसंद का कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि अपीलीय अधिकरण के समक्ष उपस्थित हो सकेगा।

(2) राज्य सरकार एक या एक से अधिक प्रतिनिधि या प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले उसके किसी अधिकारी को प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत कर सकेगी या इस प्रकार प्राधिकृत कोई व्यक्ति अपीलीय अधिकरण के समक्ष किसी अपील के संबंध में प्रस्तुत वाद में उपस्थित हो सकेगा।

उच्च न्यायालय को अपील **24**

(1) अपीलीय अधिकरण के किसी निर्णय या आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय को ऐसे निर्णय के प्राप्त होने की तारीख से 120 दिन के भीतर या ऐसे आदेश द्वारा उत्पन्न होने वाले किसी विधि के प्रश्न पर अपीलीय अधिकरण के आदेश पर उच्च न्यायालय में अपील योजित कर सकेगा।

(2) उच्च न्यायालय उक्त 120 दिन की अवधि के पश्चात भी यदि उसका यह समाधान हो जात है कि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपील योजित करने के पर्याप्त कारण है, तो वह अपील योजित करने की अनुमति दे सकेगा।

(3) जहां उच्च न्यायलय का यह समाधान हो जात है कि वाद में विधि का प्रश्न अंतग्रस्त है तो वह उस प्रश्न का उत्तर दे सकेगा।

(4) इस प्रकार दिये गये उत्तर पर अपील पर सुनवाई की जायेगी और प्रति उत्तरदाता अपील की सुनवाई के अवसर पर तर्क करने की अनुमति दे सकेगा कि प्रस्तुत प्रकरण में कोई विधि का प्रश्न नही है।

(5) इस उपधारा की कोई भी बात पर यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विधि का प्रश्न अंतर्निहित है तो वह बाहर ले जाने या न्यायालय की सुनने की शक्ति को रोकने, कारणो ंको अभिलिखित करने के लिए या इसके द्वारा कोई विधि का प्रश्न अंतग्रस्त नही है, समझी जायेगी।

(6) उच्च न्यायालय इस प्रकार विधि के प्रश्न का निर्णयन करेगी और जैसा निर्णय में पाया गया है, के आधार पर उसमें उल्लिखित ऐसा निर्णय देगी और ऐसा मूल्य देगी जैसा वह ठीक समझे।

(7) उच्च न्यायालय –

(क) अपीलीय अधिकरण द्वारा अवधारित नही किये गये प्रश्न, या

(ख) उपधारा (1) में यथासंदर्भित विधि के ऐसे प्रश्न पर निर्णय के कारण द्वारा अपीलीय अधिकरण से ऋृटिपूर्ण किया गया अवधारण पर विचार कर सकेगा।

(8) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय् उच्च न्यायालय को अपील करने सबंधी सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंध यथाशक्य इस अधिनियम के अधीन अपील के वादों में लागू होंगे।

अध्याय छः

विशेष न्यायालय

विशेष न्यायालय **25** (1) राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के विचारण के लिए अधिसूचना द्वारा मजिस्ट्रेट के न्यायालय की एक या एक से अधिक विशेष न्यायालय या ऐसे क्षेत्र या ऐसे क्षेत्रों के लिए विशेष न्यायालय या ऐसे मामले या वर्गों या समूहों के वादों के लिए जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, पदाभिहित कर सकेगा।

(2) जब इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण किया जा रहा है तो कोई विशेष न्यायालय उपधारा (1) में सदर्भित किसी अपराध के अलावा अन्य अपराध का विचारण भी उसी मामले में अधिरोपित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन जिसमें वह अभियोगी है, कर सकेगा।

(3) विशेष न्यायालय निम्न के लिखित शिकायत प्राप्त होने के सिवाय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए कोई संज्ञान नही लेगा–

(एक) प्राधिकारी, या

(दो) राज्य सरकार का कोई अधिकारी उस सरकार द्वारा किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा राज्य सरकार से इस संबंध में लिखित में प्राधिकृत कोई व्यक्ति।

(4) इस धारा के अधीन प्रत्येक विचारण यथासम्भव शीघ्रता से किया जायेगा और शिकायत दर्ज होने की तारीख से छः माह के भीतर विचारण का निर्णय कर दिया जायेगा।

विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों का दण्ड पक्रिया संहिता, 1973 का **26** इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, दण्ड पक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के लिए लागू होगा और उक्त उपबंधों के प्रयोजनार्थ विशेष न्यायालय मजिस्टेट का न्यायालय समझा जायेगा और जो व्यक्ति

लागू होना

विशेष न्यायलय के समक्ष अभियोजन का संचालन कर रहा है वह लोक अभियोजन अधिकारी समझा जायेगा;

परन्तु यह कि राज्य सरकार किसी वाद या वर्ग या समूह के मामलों में किसी विशेष लोक अभियोजन अधिकारी को भी नियुक्त कर सकेगी।

(2) कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी लोक अभियोजन अधिकारी या विशेष लोक अभियोजन अधिकारी के रूप में नियुक्त के लिए तब तक नही होगा जब तक कि वह राज्य के अधीन न्यूनतम सात वर्ष के वकालात का अनुभव प्राप्त न कर ले।

(3) इस धारा के अधीन लोक अभियोजन अधिकारी या विशेष लोक अभियोजन अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाला प्रत्येक व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (प) के अर्थान्वयन में लोक अभियोजन अधिकारी समझा जायेगा और उक्त संहिता के उपबंध तदनुसार प्रभावी होंगे।

अध्याय सात

अपराध एवं शास्तियां

बेनामी लेन–देन के लिए शास्ति **27**

(1) जहां कोई व्यक्ति बेनामी लेन–देन करता है और धारा 3 की उपधारा (2) में संदर्भित कोई बेनामी लेन–देन नही है, में किसी विधि के उपबंधों को असफल करने के क्रम में या सांविधिक देयों के भुगतान न करने या उधार का भुगतान न करने, लेनदार को भुगतान न करने पर लाभग्राही स्वामी, बेनामीदार या अन्य कोई व्यक्ति ऐसे बेनामी लेन–देन को करने वाला कोई व्यक्ति शह देता है या प्रेरित करता है तो वह बेनामी लेन–देन के अपराध के लिए दोषी होगा।

(2) जो कोई उपधारा (1) में सदिर्भित बेनामी लेनदेन का दोषी है वह दो वर्ष के कारावास के लिए दण्डनीय होगा और वह सम्पति के शुद्ध बाजार भाव के पच्चीस प्रतिशत जिसे बढाया जा सकेगा, के अर्थदण्ड के लिए भागी होगा।

मिथ्या सूचना हेतु शास्ति **28**

जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी को जानबूझकर कोई मिथ्या सूचना देगा या किसी कार्यवाही के कोई मिथ्या अभिलेख उपलब्ध करायेगा, वह कारावास से दो वर्ष के लिए दण्डनीय होगा और वह सम्पति के शुद्ध बाजार भाव के दस प्रतिशत जिसे बढाया जा सकेगा, के अर्थदण्ड के लिए भागी होगा।

पूर्व स्वीकृति **29**

धारा 28 के अधीन अनुमोदन प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी अपराध में सम्बंध में किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई अभियोजन संस्थित नही किया जायेगा।

अध्याय आठ

विविध

कतिपय अंतरणों का शून्य होना **30**

जहां धारा 13 के अधीन किसी सूचना के जारी होने के पश्चात् उक्त सूचना में किसी संदर्भित सम्पति का किसी रीति से चाहे ऐसा अंतरण किसी भी रीति से किया गया हो। इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही के प्रयोजनार्थ अनदेखा कर दिया जायेगा और यदि ऐसी सम्पति को धारा 16 के अधीन राज्य सरकार द्वारा क्रमशः अधिहरित कर ली गई है तो ऐसी सम्पति का अंतरण शून्य समझा जायेगा।

छूट 31 (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी सम्पति या सम्पतियों के वर्ग को इस अधिनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना को विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

निर्देश आदि जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति 32 (1) राज्य सरकार समय–समय पर ऐसे आदेश, निर्देश और दिशानिर्देश प्राधिकारियों को जारी कर सकती है जैसा वह अधिनियम के समुचित प्रशासन के लिए उचित समझे और ऐसे प्राधिकारियों तथा इस अधिनियम के निष्पादन में कार्यरत सभी अन्य व्यक्ति राज्य सरकार के ऐसे आदेशों, निर्देशों और दिशानिर्देशों का पालन और अनुसरण करेंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश, निर्देश या दिशानिर्देश–

(क) किसी विशेष रीति में किसी विशेष मामले को निर्णित करने के लिए किसी अधिकारी से अपेक्षा, या

(ख) न्याय निर्णयन प्राधिकारी को उसके कृत्यों के निर्वहन के मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करेगा।

निष्कर्ष अन्य विधियों के अधीन इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के लिए निश्चायक नही होगा 33 किसी अन्य विधि के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी को कोई निष्कर्ष इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजनार्थ निश्चायक नही माना जायेगा।

अन्य विधियों के लागू करने के लिए वर्जित नही होगा 34 इस अधिनियम के उपबंध अतिरिक्त उपबंध होंगे और जैसा यहां अन्यथा उपबंधित है, के सिवाय् ततसमय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अल्पीकरण के लिए नही होंगे।

अधिकारिता का वर्जन 35 इस अधिनियम के अधीन पारित कोई आदेश या की गई कोई घोषणा इसमें यथा उपबंधित के सिवाय अपीलनीय नही होगी और किसी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे विषय की बाबत अधिकारित नही होगी जिसको अपील अधिकरण या कोई सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अवधारित करने के लिए सशक्त है और इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई की बाबत कोई व्यादेश किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा नही दिया जायेगा।

अपराधों का असंज्ञेय होना 36 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, कोई अपराध इस अधिनियम के अधीन, असंज्ञेय तथा जमानतीय होंगे।

कम्पनी द्वारा अपराध 37 (1) इस अधिनियम के अधीन जब कभी किसी कम्पनी द्वारा कोई अपराध किया गया हो, अपराध करने के समय प्रत्येक व्यक्ति जो प्रभार में था अथवा कम्पनी के कार्य संचालन के लिए कम्पनी के प्रति उत्तरदायी था, अपराध का दोषी माना जाएगा और तद्नुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही चलायी जा सकेगी और दण्डित किया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक सचिव या अन्य

पदाधिकारी की सहमति या सहयोग से किया गया हो अथवा उसकी किसी उपेक्षा के कारण किया गया हों, ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य पदाधिकारी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और तद्नुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही चलायी जा सकेगी और दण्डित किया जा सकेगा;

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात, किसी ऐसे व्यक्ति को, इस अधिनियम के अधीन दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर दे कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ था अथवा अपराध रोकने के लिए उसने सभी सम्यक तत्परता बरती थी।

स्पष्टीकरणः— इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) ''कम्पनी'' से कोई निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म अभिप्रेत है।

(ख) फर्म के संबंध में ''निदेशक'' से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

कतिपय आधारों पर सूचना आदि का अवैध न होना

38 इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में दी गई या बनाई गई या जारी की गई या ली गई या आशायित कोइ दी गई सूचना या की गई या जारी की गई या ली गई है, से संबंधित कोई सूचना, शमन, आदेश, अभिलेख या अन्य कार्यवाही अवैध नही होगी या ऐसी सूचना, शमन, आदेश, अभिलेख या अन्य कार्यवाही में किसी प्रकार की त्रृटि, कमी या कोई आकस्मिक कमी के कारण अवैध नही समझी जायेंगी, मानो ऐसी सूचना, शमन, आदेश, अभिलेख या अन्य कार्यवाही इस अधिनियम के प्रयोजन और आशय के लिए उसकी पुष्टि में या उसके अनुसार किये गये थे।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण

39 इस अधिनियम के अंतर्गत सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी अभियोजन, वाद या कोई अन्य कार्यवाही राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अपीलीय अधिकरण या न्याण निर्णयन प्राधिकारी के विरूद्ध नही चलाई जा सकेगी।

लंबित मामलों का अंतरण

40 (1) किसी बेनामी लेन—देन के संबंध में कोई वाद या कार्यवायी उच्च न्यायालय को छोड़कर किसी न्यायालय या अधिकरण या इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को किसी प्राधिकारी के समक्ष लंबित हो तो मामले को अपीलीय अधिकरण या न्याय निर्णयन प्राधिकारी जैसी स्थिति है, के क्षेत्राधिकार वाले में संदर्भित किया जायेगा।

(2) जहां कोई वाद या अन्य कार्यवाही उच्च न्यायालय को छोड़कर किसी न्यायालय या अधिकरण या अन्य प्राधिकारी से उपधारा (1) के अधीन अपीलीय अधिकरण को —

(क) न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी शीघ्रताशीघ्र ऐसे अंतरण के पश्चात ऐसे वाद या अन्य कार्यवाही को अपीलीय अधिकरण को अभिलेख अग्रसारित करेगा;

(ख) अपीलीय अधिकरण ऐसे अभिलेखों की प्राप्ति पर ऐसे वाद या कोई कार्यवाही जैसी स्थिति हो, धारा 15 की उपधारा (5) के अधीन सदर्भ की गई किसी मामले में ऐसे स्तर से जिसमें वह अंतरण से पूर्व पहुंचा था या किसी अन्य पूर्ववर्ती स्तर पर या अपीलीय अधिकरण इसे नये सिरे से प्रारम्भ कर सकेगा।

विधिक वारिस	41	(1) इस अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाई के दौरान जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु से पूर्व मृतक के विरूद्ध की गई कोई कार्रवाई उसके विधिक वारिसों के विरूद्ध की गई कार्रवाई समझी जायेगी और मृतक की मृत्यु की तारीख पर जिसे वह रख गया है, के स्तर से विधिक वारिसों के विरूद्ध कार्यवाही चलती रहेगी। (2) कोई कार्यवाही जिसे मृतक के विरूद्ध किया जाता यदि वह जीवित होता, ऐसी कार्यवाही विधिक वारिसों के विरूद्ध की जा सकेगी और उस पर अधिनियम के सभी उपबंध तद्नुसार लागू होंगे। (3) जहां किसी व्यक्ति की कोई सम्पति धारा 15 के अधीन बेनामी हो गयी है तब विधिक वारिसों के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि ऐसे व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के स्थान में अपीलीय प्राधिकरण को अपील किये जाने और धारा 21 के उपबंध जहा तक लागू हों या ऐसी अपील में नियमित रूप से लागू रहेंगे।
अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना	42	इस अधिनियम के उपबंधों का तत्समयय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभाव होगा।
नियम बनाने की शक्ति	43	(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। (2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात– (क) मूल्य का निर्धारण जहां मूल्य धारा 2 के खण्ड (ञ) के अधीन आंकलित करने योग्य नही है; (ख) धारा 8 के अधीन प्राधिकारी द्वारा प्रयोग किये जाने वाली शक्तियां और कृत्य; (ग) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन अन्य कोई मामले; (घ) धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन सम्पति को ंन्तिम कुर्क किये जाने की रीति; (ड.)धारा 1 की उपधारा (1) के अधीन सम्पति प्राप्ति और प्रबंधन की रीति; (च) अपील का प्ररूप जिसमें वह योजित होनी है, धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन योजित किये जाने के लिए शुल्क।
नियमों का राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाना	44	इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाये जाने के पश्चात यथाशीघ्र जब विधान सभा सत्र में हो, राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।
कठिनाईयां दूर करने की शक्ति	45	(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी। (2) इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की

अवधि की समाप्ति के पश्चात नही किया जायेगा।

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये नियमों को, बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

———————